फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भंवर सिंह चुण्डावत पिता श्री माधोसिंह जी राजपूत निवासी आसन कॉलोनी, कॉलेज के सामने आमेट तह. आमेट जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट

— प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 31/2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.08.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये पत्रांक आर.टी.आई/2023/175 दिनांक 06.07.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना संभाग उदयपुर में वर्ष 1977—78 में उप जिलाधीश (जागीर) उदयपुर के न्यायालय था या नहीं। इस संबंध में इस कार्यालय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है अतः इस संबंध में संबंधित न्यायालय से जानकारी प्राप्त करने हेतु लिखा गया है प्रार्थी द्वारा उक्त वर्ष में जारी फैसले की प्रति संलग्न कर मान्य है या नहीं एवं प्रमाणित प्रति चाही गई है। इस संबंध में फैसला मान्य है या नहीं संबंधित न्यायालय से ज्ञात करने हेतु लिखा जाकर प्रति श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के पत्रांक अजिक/पंजीयन/आरटीआई/2023/622 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार राजस्थान राज्य अभिलेखाकार उदयपुर में तहसील आमेट के बस्ता संख्या 1 के क्रमांक 7 में दर्ज होकर प्रमाणित प्रति राजस्थान राज्य अभिलेखाकार उदयपुर से प्राप्त करने हेतु कार्यालय के पत्रांक /आरटीआई/2023/174 दिनांक 06.07.2023 से सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना जरिये पत्रांक आर.टी.आई/2023/175 दिनांक 06.07.2023 से अपीलार्थी को वांछित सूचना राजस्थान राज्य अभिलेखाकार उदयपुर में तहसील आमेट के बस्ता संख्या 1 के क्रमांक 7 में दर्ज होकर प्रमाणित प्रति राजस्थान राज्य अभिलेखाकार उदयपुर से प्राप्त करने हेतु सूचित किये जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)